न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 37/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/109

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री नारायण जोशी/ कालीचरण जोशी, प्रोपराईटर
सागर भेल पकोडी सेन्टर, परतापुर जिला बांसवाडा
(राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 24.10.2024 को परतापुर में सागर भेल पकोडी सेन्टर, परतापुर जिला बांसवाडा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नारायण जोशी/ कालीचरण जोशी की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर का प्रयोग कर भेल तैयार की जा रही थी साथ ही 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	082493 T	28.800	15.600	13.200
2	भारत गैस	738762	23.000	15.300	7.700
3	भारत गैस	436692 T	18.800	15.300	3.500

श्री नारायण जोशी/ कालीचरण जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:39 IST
Reason: SelfAttested

के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर वैष्णवी गैस एजेन्सी परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.12.2024 को अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच के दौरान जो 3 गैस सिलेण्डर जब्त किये गए है उनमें एक गैस का सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा दुकान पर भेल तैयार करने के लिये उपयोग में लिया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक गैस सिलेण्डर के लिये बुकिंग करवाई थी परन्तु उसकी समय पर डिलेवरी नही होने के कारण एक घरेलु गैस सिलेण्डर जो अपने घरेलु व निजी उपयोग व नौकरो के खाना बनाने आदि के लिये रखा गया था इमरजेन्सी के रुप में काम में लिया गया था। जब्तशुदा सिलेण्डर को राजसात किया जाने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। जवाब के साथ ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर सुना गया। प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 24.10.2024 को परतापुर में सागर भेल पकोडी सेन्टर, परतापुर जिला बांसवाडा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नारायण जोशी/ कालीचरण जोशी की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर का प्रयोग कर भेल तैयार की जा रही थी साथ ही 2 घरेलु सिलेण्डर फर्म पर भण्डारण करना पाया गया। श्री नारायण जोशी/ कालीचरण जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर वैष्णवी गैस एजेन्सी परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 03 घरेलु गैस सिलेण्डर सागर भेल पकोडी सेन्टर परतापुर व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:31:39 IST
Reason: SelfAttested